न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–267/2019

अमीरी साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रूबी खातुन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
27.09.2024	वादीगण की ओर से पैरवी नहीं है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.01.2024 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी प्रथम पक्ष का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि खाता–86 खेसरा–288 रकबा 05 डिसमील भूमि इसरायल मियाँ प्रतिवादी प्रथम पक्ष के दादा के नाम बंदोबस्ती अंचल नरकटियागंज वाद सं0–286/1969–70 तथा अनुमण्डल वाद सं0–133/1969–70 द्वारा किया गया तथा जमाबंदी सं0–152 इसरायल मियाँ के नाम कायम किया गया। इसरायल मियाँ के मरने के बाद उनके पुत्र जोखु मियाँ के नाम दाखिल खारिज वाद सं0–411/2000–01 जमाबंदी सं0–152 जोखु मियाँ के नाम हस्तानांतरित किया गया तथा जोखु मियाँ के मरने के बाद उनके पुत्र प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 द्वारा सरकार को लगान देकर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे है तथा ईट एवं खपडा का मकान बनाकर 40–50 वर्षो से चले चले आ रहे है, जो मकान जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो गया है। वादग्रस्त भूमि का ढाई डिसमिल भूमि वादीगण द्वारा अमिक्रमण किया गया था, जो अंचलाधिकारी नरकटियागंज द्वारा अतिक्रमण मुक्त कर प्रतिवादी प्रथम पक्ष को दखल कब्जा दिला दिया गया। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष का जीर्ण–शीर्ण मकान गिरने के स्थिति में है तथा मकान कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। ऐसी दशा में आवश्यक है कि एक अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष का जीर्ण–शीर्ण मकान का वर्तमान यथास्थिति का फोटोग्राफ्स माँगा लेना आवश्यक है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष अधिवक्ता आयुक्त के मद में होने वाले	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–267/2019

अमीरी साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रूबी खातुन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 27.09.2024	शुल्क को वहन करने को तैयार है तथा वादग्रस्त भूमि न्यायालय परिसर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है जहाँ सडक परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन स्वीकार करते हुये स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करते हुये वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष के जीर्ण–शीर्ण मकान के संदर्भ में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की मांग आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर करने कृपा करें। इसके लिए प्रतिवादी प्रथम पक्ष श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगें। वादीगण की ओर से प्रतिवादी प्रथम पक्ष के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 03.04.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं बल्कि खारिज होने योग्य है। विधि का यह स्थापित मान्यता है कि बिना दखल कब्जा का कोई भी बंदोबस्ती विधि मान्य नहीं हो सकता है चूँकि प्रतिवादी के द्वारा वादीगण के दखल कब्जें वाली भूमि पर नाजायज दावा किया जा रहा है। जिसका आधार गैरकानूनी एवं तथाकथित बंदोबस्ती कहा जा रहा है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना ईट एवं खपडा का मकान बनाकर 40–50 वर्षो से रहते चले आना बताया गया है, जो जीर्ण–शीर्ण की अवस्था में हो गया है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का कार्य वादग्रस्त भूमि का वाद लंबन के दौरान संरक्षण करना होता है। अतः ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन दिनांक 23.01.2024 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–267/2019</u>

अमीरी साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रूबी खातुन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 27.09.2024	अभय कुमार शुक्ला को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में आवेदन में वर्णित तथ्यों पर फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2500/– रूपये प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा वहन किया जायेगा। अधिवक्ता आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह नियत समय के अंदर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। वाद दिनांक 21.10.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	